2011 का विधेयक सं. 12

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 25 नवम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 2 **का संशोधन.-**राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है**,** की धारा **2** की उप-धारा (1) में खण्ड (**vii**) के पश्चात् और खण्ड (**viii**) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा:-

"(vii-क) "विशेष पिछड़ा वर्ग" से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित वर्ग अभिप्रेत हैं;"।

3. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नयी धारा 10-ख का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 10-क के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा 10-ख अंतःस्थापित की जायेगी:-

"**10-ख. विशेष पिछडे वर्गों के लिए पदों का आरक्षण.-** सुसंगत विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

राजस्थान विश्वविद्‌यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. ....) के प्रारंभ होने की तारीख से, संबंधित विश्वविद्‌यालय में, इस अधिनियम के अधीन किये गये प्रत्येक चयन के अनुसरण में विश्वविद्‌यालय में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों तथा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए एक प्रतिशत पद विशेष पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे।''।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान विश्वविद्‌यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 02) इसके द्‌वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्‌वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये समस्त आदेश इस अधिनियम द्‌वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालयों में अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्तियां राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अनुसार की जाती हैं। इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लिए उपबंध किये गये हैं। यह प्रस्तावित किया गया था कि विशेष पिछडे वर्गों के लिए भी एक प्रतिशत आरक्षण का उपबंध किया जाना चाहिए। तदनुसार पूर्वोक्त अधिनियम में एक नयी धारा 10-ख अंत:स्थापित की जानी प्रस्तावित थी।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 25 नवम्बर, 2010 को राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 02) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 26 नवम्बर, 2010 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह,

प्रभारी मंत्री।

(Authorized English Translation)

Bill No. 12 of 2011

THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS AND OFFICERS (SELECTION FOR APPOINTMENT) (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 25th November, 2010.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 1974.–In sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974), hereinafter referred to as the principal Act, after clause (vii) and before clause (viii), the following new clause shall be inserted:–

"(vii-a) "Special Backward Classes" means the classes declared as such by the State Government, by notification in the Official Gazette;".

3. Insertion of new section 10-B, Rajasthan Act No. 18 of 1974.–After section 10-A of the principal Act, the following new section 10-B shall be inserted:–

"10-B. Reservation of posts for Special Backward Classes.–Notwithstanding anything contained

in the relevant law, as from the date of commencement of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Act, 2011 (Act No. .... of 2011) there shall be reserved in the University concerned, one percent posts for Special Backward Classes for appointment to the posts of teachers and officers to be appointed in the University in pursuance of every selection made under this Act.”.

4. Repeal and savings.–(1) The Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 02 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Appointment of teachers and officers in Universities are made as per the provisions of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974. In this Act provisions have been made for reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. It was proposed that 1% reservation should also be provided to Special Backward Classes. Accordingly a new section 10-B was proposed to be inserted in the aforesaid Act.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) (Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 02 of 2010), on 25th November, 2010, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 26th November, 2010.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

डॉ. जितेन्द्र सिंह,
Minister Incharge.

<u>2011 का विधेयक सं. 12</u>

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) अधिनियम, 1974 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुडी,
सचिव।

(डॉ. जितेन्द्र सिंह, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 12 of 2011

THE RAJASTHAN UNIVERSITIES' TEACHERS AND OFFICERS (SELECTION FOR APPOINTMENT) (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(Dr. JITENDRA SINGH, **Minister-Incharge)**